

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन , "ए" ब्लॉक, जनपथ , जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई.मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प 4 (ई) / अलेसे III/ निप लिंक न . 10877 / 4935

दिनांक :- 09-01-2020

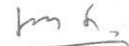
कार्यालय आदेश

श्री / श्रीमती / सुश्री कैलाश चंद मोर्या [लिंक न . 10877] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, गोविन्दगढ़, अलवर - [22301] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 17/12/2018 से 18/12/2018 तक 2 दिवस
(दिनांक 16.12.2018 का पूर्ववर्ती राजकीय अवकाश)

कुल 2 दिवस

उक्त कुल 2 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री / श्रीमती / सुश्री कैलाश चंद मोर्या की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।


(मुकुन्द सोहोनी)

निदेशक

क्रमांक :- प 4 (ई) / अलेसे III/ निप लिंक न . 10877 / 4935

दिनांक :- 09-01-2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, गोविन्दगढ़, अलवर
2. कोषाधिकारी अलवर
3. श्री / श्रीमती / सुश्री कैलाश चंद मोर्या [10877] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, गोविन्दगढ़, अलवर
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली


(शिल्पी कौशिक)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)